भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3550
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

झारखंड में पीएमजीएसवाई

3550. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत झारखंड के लिए स्वीकृत सड़कों की जिला-वार, नाम-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को झारखंड के उन गांवों की जानकारी है जिन्हें अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) झारखंड में गिरिडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कितनी सड़कें और पुल अनुमोदन हेतु विभाग के पास लंबित हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): पिछले दस वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान (12.12.2024 की स्थिति के अनुसार) झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के तहत 15,150 किलोमीटर लंबी 3,488 सड़कों और 584 पुलों को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान झारखंड राज्य को स्वीकृति लागत सहित स्वीकृत कार्यों का सड़क-वार ब्यौरा **omms.nic.in->Proposals->Statewise List of Roads** पर देखा जा सकता है।

(ग): पीएमजीएसवाई-I को ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) की सड़क संपर्क रहित पात्र बसावटों को सिंगल लेन बारहमासी सड़क के जरिए ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों में (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 12.12.2024 तक, झारखंड राज्य में, 250+ जनसंख्या श्रेणी में, 9,537 बसावटों के लिए स्वीकृति दी गई है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या श्रेणी में 1,397 बसावटों के लिए स्वीकृति दी गई है। उक्त सभी बसावटों को पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है। पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत झारखंड राज्य में स्वीकृत और सड़कों

से जोड़ी गई बसावटों का जिला-वार ब्यौरा **omms.nic.in->Progress Monitoring->Habitation Coverage Report** पर देखा जा सकता है।

पीएमजीएसवाई-IV की शुरूआत 2024 में गई है जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या आकार की लगभग 25,000 सड़क संपर्क रहित बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों (सिंगल लेन) का निर्माण करना है। जनसंख्या मानकों के अनुसार सड़क संपर्क रहित पात्र बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य फिलहाल जारी है।

(घ): जी नहीं। झारखंड राज्य में गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पीएमजीएसवाई के तहत अनुमोदन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****